न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 89/17 निर्णय दिनांकः– 14–11–2019

1. सुखदेव कौर पत्नी सुरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम रावला मण्डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखवीर सिंह पुत्र सुरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम रावला मण्डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरपालसिंह पुत्र सुरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम रावला मण्डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
4. हरपालसिंह पुत्र सुरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम रावला मण्डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 25–11–2005
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री सन्तनाथ, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 25–11–2005 जिसके द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर 20 प्रतिशत राशि व सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25—11—2005 के विरूद्व अपील दिनांक 23—03—17 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन बी प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाने व सबूतों के अभाव मेंखारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट्स किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 25—11—2005 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 23—03—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

अपीलांट्स के पति/पिता ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र 20 प्रतिशत राशि व वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण खारिज किया गया है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि चक 02 आरएम के मुरब्बा नम्बर 158/43 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को नोटिस क्रमांक 3331 दिनांक 13—10—2005 व नोटिस क्रमांक 3713 दिनांक 08—11—2005 द्वारा आरक्षित मूल्य कुल

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा तहसील पूगल में बतौर विशेष आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूतं प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि चक 02 आरएम के मुरब्बा नम्बर 158/43 के विशेष आवंटन हेतु इस्तदुआ की गई थी। तत्पश्चात् अपीलांट्स के पति/पिता को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट को 20 प्रतिशत राशि व वांछित सबूत पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया परन्तु अपीलांट हाजिर नहीं आया। इसलिए आवंटन निरस्त किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट्स के पति/पिता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट्स के पति/पिता ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट्स आज दिनांक को भी राशि जमा करवाने को तैयार है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

447850/— की 35 प्रतिशत राशि 89570/— व वांछित सबूत यथा गत् 20 वर्षो से अधिक अधिवास के प्रमाणीकरण हेतु वोटर लिस्ट, 1971, 1975, 1980, 1993 व 1998 की मूल प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र, सद्भाविक कृषक प्रमाण पत्र, भूमि अथवा भूमिहीन का प्रमाण पत्र, दो पासपोट साईज के फोटो पति या पिता का व्यवसाय संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया कि वे स्वयं सबूतों सहित उपस्थित आवे। किन्तु अपीलांट ना तो आवंटन आदेश प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं आया और ना ही आवंटन अधिकारी के समक्ष सबूत आदि पेश किये। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन आदेश प्राप्त करने का इच्छुक नहीं रहा है। न्यायालय अंतहीन समय तक किसी आवेदक का इंतजार नहीं कर सकता व ना ही वादग्रस्त भूमि को आराजीराज रखते हुए अन्य काश्तकारों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा आवेदक के उपस्थित नहीं होने पर व वांछित सबूत पेश नहीं करने के कारण अपीलांट का आवेदन पत्र 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाने व सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 25—11—2005 बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14—11—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामरतन सोंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.05 16:56:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: